3/पा० ज्ञा०क०-33/2022 – 88

**बिहार सरकार**
**समाज कल्याण विभाग**

पत्र संख्या-

**स्वीकृत्यादेश**
**(संख्या /2026-27)**

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 12-11-2026

**विषयः-** **वितीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार (सुधा दुग्ध चूर्ण एवं अंडा/मूंगफली) अन्तर्गत पूर्व माह यथा अप्रैल से सितम्बर 2026 तक ऑगनबाडी केन्द्रों पर आपूर्ति हेतु लंबित भुगतान एवं माह अक्टूबर तथा नवम्बर 2026 में केन्द्रों पर निर्यात किये गए सुधा दुग्ध चूर्ण के आपूर्ति आदेश के अतिरिक्त केन्द्रों पर अंडा/मूंगफली उपलब्ध कराने के निमित राज्य स्कीम के तहत बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से प्राप्त कुल राशि रू० 101.0100 करोड (एक सौ एक करोड एक लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।**

आदेश : स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.17 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार (सुधा दुग्ध चूर्ण एवं अंडा/मूंगफली) अन्तर्गत पूर्व माह यथा अप्रैल से सितम्बर 2026 तक ऑगनबाडी केन्द्रों पर आपूर्ति हेतु लंबित भुगतान एवं माह अक्टूबर तथा नवम्बर 2026 में केन्द्रों पर निर्यात किये गए सुधा दुग्ध चूर्ण के आपूर्ति आदेश के अतिरिक्त केन्द्रों पर अंडा/मूंगफली उपलब्ध कराने के निमित राज्य स्कीम के तहत बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से प्राप्त कुल राशि रू० 101.0100 करोड (एक सौ एक करोड एक लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

**(राशि लाख में)**

| क्र. सं0 | योजना का नाम | राज्य स्कीम | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | पूर्व में स्वीकृत राशि | अतिरिक्त स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पूरक पोषाहार योजना (राज्य स्कीम) | 100 प्रतिशत | 51-2236021010103 | 0103. 21.03 | 15389.38 | 10101.00 |
| **कुल योग रू० (एक सौ एक करोड एक लाख)** | | | | | | **10101.00** |

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि को निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-33/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-..27...../टि0 पर दिनांक-12-11-26 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-33/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-..28../टि0 पर दिनांक- 12-11-26 ..... को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

12/XI/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-33/2022 – 88 /...../दिनांक- 12-11-2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिवए वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारीए समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/XI/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-33/2022 - 88 /...../दिनांक- 12-11-2026

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/XI/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-33/2022 – 88 /...../दिनांक- 12-11-2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/XI/26

संयुक्त सचिव